(19)

संख्या-213 बीपी/35-1-2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 14 अगस्त, 2014

विषयः-बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल परियोजना हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन शासनादेश संख्या 38 बीपी/ 35-1-2014, दिनांक 3 मार्च, 2014 के माध्यम से 38 परियोजनाओं की रू 9476.85 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू 2558.75 लाख कर धनराशि वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवमुक्त की गयी और सम्पूर्ण धनराशि का व्यय हो गया। साथ ही शासनादेश संख्या 45 बीपी/35-1-2014, दिनांक 4 मार्च, 2014 के माध्यम से 9 परियोजनाओं की रू 1758.14 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रू 474.70 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवमुक्त की गयी और सम्पूर्ण धनराशि का व्यय हो गया। इस प्रकार उक्त 47 परियोजनाओं की कुल लागत रू 11234.99 लाख के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में रू 3033.45 लाख का व्यय हुआ है। एतद्द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष व्यय हुई धनराशि समायोजित करते हुए संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार उनके सामने इंगित धनराशि, जिसका कुल योग रू 50.00 करोड़ (रूपये पचास करोड़ मात्र) होता है, अवमुक्त किये जाने की निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- संदर्भित शासनादेश दिनांक 3 मार्च, 2014 तथा शासनादेश दिनांक 4 मार्च, 2014 की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2- प्रश्नगत कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/पीएलए में नहीं रखी जायेगी और धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।
3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव, नियोजन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4- इस शासनादेश से जिन परियोजनाओं के लिये अनुमोदित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की सीमा तक पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है, उन परियोजनाओं के लिये अब कोई धनराशि देय न होगी। कार्यो को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही वर्ष 2014-15 में पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः

कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम्य विकास विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

7— कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेगें।

2— स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014—15 के बजट के अनुदान संख्या—40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष—4575—अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत—02—पिछड़े क्षेत्र—800—अन्य व्यय—04—बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं—77— ग्रामीण पेयजल योजना—24—वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय—ज्ञाप संख्या बी—1—2457/दस—2014—231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या—213 बीपी(1)/35—1—2014 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2— महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग।
4— प्रमुख सचिव, वित्त।
5— निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6— प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7— मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
8— जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
9— मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
10— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ/झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट ।
11— गार्ड फाईल।
12— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5
13— जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/ महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संलग्नक

शासनादेश संख्या-213 बीपी/35-1-2014, दिनांक 14 अगस्त 2014 का संलग्नक

(लाख रू. में)

जनपद		परियोजना	अनुमोदित लागत	वर्ष 2013-14 में व्यय	अवमुक्त की जा रही धनराशि
बांदा	1	बड़ोखर बुजुर्ग ग्राम पेयजल योजना	397.52	107.33	200.00
	2	सबादा ग्राम पेयजल योजना	391.00	105.57	200.00
	3	सदीमैदानपुर ग्राम पेयजल योजना	263.63	71.18	192.45
	4	महुआ ग्राम पेयजल योजना	249.10	67.26	181.84
	5	इंगुवा ग्राम पेयजल योजना	401.28	108.35	200.00
	6	जारी ग्राम पेयजल योजना	400.36	108.10	200.00
	7	कनवारा ग्राम पेयजल योजना	642.22	173.40	200.00
	8	पंचनेही ग्राम पेयजल योजना	330.88	89.34	241.54
	9	मऊ ग्राम पेयजल योजना	660.95	178.45	200.00
जालौन	10	सुलखना ग्राम पेयजल योजना	136.84	36.95	99.89
	11	बजीदा ग्राम पेयजल योजना	120.58	32.56	88.02
	12	जैसारीकलां ग्राम पेयजल योजना	127.36	34.39	92.97
	13	खरका ग्राम पेयजल योजना	127.00	34.29	92.71
	14	बरसार(पुनर्गठन) ग्राम पेयजल योजना	147.86	39.92	107.94
	15	बरखेरा ग्राम पेयजल योजना	90.46	24.42	66.04
	16	गलौली मुस्तकिल ग्राम पेयजल योजना	214.98	58.05	156.93
महोबा	17	इटौरा बुजौंग टीटीएसपी	45.79	12.36	33.43
	18	मदहरा टीटीएसपी	43.56	11.76	31.80
	19	खामा टीटीएसपी	45.14	12.19	32.95
	20	मझगवां टीटीएसपी	45.91	12.40	33.51
	21	नरेड़ी टीटीएसपी	45.55	12.30	33.25
	22	भुजपुरा टीटीएसपी	45.15	12.19	32.96
	23	पठारी टीटीएसपी	45.76	12.35	33.41
	24	गंज टीटीएसपी	45.78	12.36	33.42
	25	जेलवाड़ा टीटीएसपी	45.66	12.33	33.33
	26	रावतपुरखुर्द टीटीएसपी	45.92	12.40	33.52
	27	पुर्वा पनवटी टीटीएसपी	45.72	12.34	33.38
	28	पछाड़ा टीटीएसपी	45.81	12.37	33.44
	29	रैपुरा टीटीएसपी	45.23	12.21	33.02
	30	शाहपहाड़ी टीटीएसपी	45.82	12.37	33.45
	31	बिहार टीटीएसपी	45.85	12.38	33.47
	32	उटैन टीटीएसपी	45.75	12.35	33.40
	33	रावतपुर खालसा टीटीएसपी	46.05	12.43	33.62
	34	मामना टीटीएसपी	45.85	12.38	33.47
	35	लेवा टीटीएसपी	45.72	12.34	33.38
	36	सुरहा टीटीएसपी	312.54	84.39	228.15

जनपद		परियोजना	अनुमोदित लागत	वर्ष 2013–14 में व्यय	अवमुक्त की जा रही धनराशि
हमीरपुर	37	भौरा ग्राम पेयजल परियोजना	141.38	38.17	103.21
	38	कपसा ग्राम समूह पेयजल योजना	596.16	160.96	153.60
	39	खण्डेह ग्राम पेयजल योजना	437.55	118.14	200.00
	40	सिजवाही ग्राम समूह पेयजल योजना	290.27	78.37	211.90
	41	बक्छा ग्राम समूह पेयजल योजना	491.23	132.63	200.00
	42	सिरौली बुजुर्ग ग्राम पेयजल योजना	383.43	103.53	200.00
झांसी	43	बुधवाली पेयजल योजना	112.51	30.38	82.13
	44	खेरा ग्राम पेयजल योजना	273.69	73.90	199.79
ललितपुर	45	ककरूवा ग्राम पेयजल योजना	289.74	78.23	211.51
	46	आलापुर ग्राम पेयजल योजना	78.32	21.15	57.17
		योग	**8974.86**	**2423.22**	**5000.00**
			(रूपये पचास करोड़ मात्र)		

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव, नियोजन।